

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

आवश्यक सूचना

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों एवं राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्वद, पटना में कार्यालय परिवारी के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-02/2022 के अन्तर्गत अनुशंसित अनुपस्थित रहे। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों की जाँच टेक्नोलॉजी, भवन, बेली रोड, पटना स्थित विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, के सभागार में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा :-

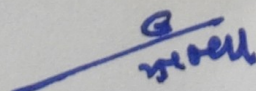
दिनांक-09.10.2026 (समय-11:00 बजे पूर्वाह्न से 1:00 बजे अपराह्न तक)

Sl No.	Name	Roll No
01	AKHILESH KUMAR	22020719
02	KRISHNA KUMAR	22020031
03	SHER SAH	22020089
04	AMIT KUMAR SAH	22020350
05	AMAN KUMAR	22020237
06	SURAJ KUMAR	22020171
07	MD PARVEZ ALAM	22020734

उपरोक्त उल्लिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन (Document Verification) हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

महत्वपूर्ण निर्देश

- (i) अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।
- (ii) शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण से संबंधित सभी मूल प्रमाण-पत्र तथा उनकी स्व-अभिप्रमाणित (Self Attested) दो प्रतियाँ जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो साथ लाएँ। अनुशंसित अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष उत्तीर्णता परीक्षा का अंक-पत्र भी मूल में लाना होगा।
- (iii) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र (विश्व बैंक पोलिटेकनिक शिक्षा सुदृढीकरण परियोजना अंतर्गत चतुर्थवर्गीय कर्मी के रूप में नियोजित कर्मियों हेतु)।
- (iv) अगर नियोजित हो तो नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- (v) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो)
- (vi) बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत वैध क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु) अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2622 दिनांक-26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में (जहाँ जो लागू हो)।
(नोट-आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से)।
- (vii) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र।
- (viii) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र/स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने संबंधी प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
(नोट-दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प



संख्या-13062 दिनांक-12.10.2017 में संलग्न विहित प्रपत्र (अनुबंध-1) में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र-VI (Form-VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-11687 दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी होने का) प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है।

- (ix) बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र (Admit Card) एवं आधार कार्ड।
- (x) पासपोर्ट साईज का 5 (पाँच) रंगीन फोटो। पाँचों फोटो के पृष्ठभाग (पीछे) में अपना नाम एवं अनुक्रमांक अंकित कर समर्पित करेंगे।
- (xi) पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र (दो प्रतियों में) समर्पित करेंगे।
- (xii) अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र कि सभी प्रमाण-पत्र सही हैं। अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी थाना में अथवा न्यायालय में कोई मामला दर्ज/विचाराधीन नहीं है। अभ्यर्थी का आचरण प्रतिकूल नहीं है।
- (xiii) उपरोक्त दोनों xi एवं xii से संबंधित विहित प्रपत्र विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/dst/> पर उपलब्ध है जिसे डाउनलोड कर पूर्णरूपेण भर कर लाना है।
- (xiv) प्रमाण-पत्रों की सत्यापन/जॉच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (xv) सत्यापन उपरांत विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाएंगे।
- (xvi) अभ्यर्थी निर्धारित समय से कम से कम 01 (एक) घंटा पूर्व सत्यापन केन्द्र पर उपस्थित हों।
- (xvii) वांछित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने/अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी। अपूर्ण अभिलेख अथवा निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने से उत्पन्न प्रशासनिक कठिनाईयों के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक

ज्ञापांक- वि० प्रा० त० शि० (IV) स्था० (नियुक्ति)-08/2026/ 6193/पटना, दिनांक- 25.09.26
प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर Upload करने एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों को ई-मेल (प्रति संलग्न) के माध्यम से संसूचित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक